यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बर:–118/2018 प्रार्थना पत्र

किशनलाल पिता नंदलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
––––––प्रार्थी

बनाम

-श्री लक्ष्मण पिता नंदलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति गंगा पत्नि नंदलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री मांगू पिता नंदराम जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री नारायण पिता नेनूराम जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री किशन पिता भैरूलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील जिला भीलवाड़ा
-श्री उदयराम पिता रामलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री लक्ष्मण पिता रामलाल जाट, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री नानूराम पिता भागीरथ गाडरी, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगवा पटवार ल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2011, 2012, 2013, 2016, 017, 2018, 2025 कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के ंयुक्त खातेदारी के दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण संख्या 3 से 8 विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 व 2 के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण ाये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की ाराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीा का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.5.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये म्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 8 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जेसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 8 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 8 को केतनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के हत स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल राजी नम्बर 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2025 कुल किता 7 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा मि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, कारोईकंला को 500/–रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर मिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने र पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये हसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner